

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती सुगना बनाम कैलाशचन्द्र (वर्गो)

किस्म मुकदमा वाद नं० 86 सन् 2018

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख न जारी हुए
5-9-18	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे । पत्रावली दिनांक 23-10-18 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>उपरोक्त पत्रावली को तारीख 15-1-19 को पेश हो। <i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
2-1-19	<p>वकील वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पत्रावली सिंगह से तलब की गई । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से बताया गया कि वादिया प्रतिवादीगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती हैं। वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप फरमाया जावे।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भवन किया। ब्यायहित मे वकील वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया द्वारा अब आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कारण वादिया का वाद पत्र इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।</p>	<p>सुगना</p> <p><i>[Signature]</i></p>

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा